रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224761
CG-DL-E-28012021-224761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942
No. 377] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(स्टार्टअप इंडिया अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2021

का.आ. 414(अ).—केंद्र सरकार ने अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश तथा वाणिज्यीकरण हेतु स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस)' को अनुमोदित किया है। एसआईएसएफएस स्टार्टअप्स को 945 करोड़ रुपए के कॉर्पस से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसे देशभर के चयनित इन्क्यूबेटर्स के जरिए वर्ष 2021-25 के दौरान संवितरित किया जाएगा।

2. यह स्कीम क्षेत्र-निरपेक्ष है तथा यह सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप्स की सहायता करेगी। इस स्कीम में स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटर्स के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर सतत आधार पर केंद्रीय साझा आवेदन उपलब्ध होगा।

3. एसआईएसएफएस को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

4. उपर्युक्त स्कीम के दिशानिर्देश स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट https://www.startupindia.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

5. स्टार्टअप के लिए पात्रता मानदंड: स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत आवेदन करने का पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा:

1. डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो आवेदन के समय से 2 वर्ष से ज्यादा पहले निगमित न हुआ हो

2. स्टार्टअप के पास उत्पाद या सेवा के विकास का कोई व्यावसायिक विचार हो जो बाजार के लिए उपयुक्त, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो तथा जिसमें विकास की संभावना हो ।

3. स्टार्टअप को लक्षित समस्या का समाधान करने के लिए अपने मूल उत्पाद या सेवा या व्यावसायिक मॉडल या वितरण मॉडल या कार्य पद्धति में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए।

4. सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल ऊर्जा, आवाजाही, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल और गैस, वस्त्र आदि जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधानों का निर्माण करने वाले स्टार्ट-अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. स्टार्टअप द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के तहत 10 लाख रूपए से अधिक मौद्रिक सहायता प्राप्त नहीं की जानी चाहिए। इसमें प्रतियोगिताओं और बड़ी चुनौतियों से प्राप्त ईनाम की राशि, सब्सिडी वाला कार्य स्थल, संस्थापक मासिक भत्ता, प्रयोगशालाओं तक पहुंच, अथवा प्रोटोटाइपिंग सुविधा तक पहुंच शामिल नहीं है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार, स्कीम के लिए इन्क्यूबेटर को आवेदन के समय स्टार्टअप में भारतीय प्रोमोटर्स द्वारा शेयरधारिता कम-से-कम 51% होनी चाहिए।

7. स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी स्टार्टअप एक बार से अधिक प्रारंभिक सहायता प्राप्त नहीं करेगा।

6. इन्क्यूबेटर के लिए पात्रता मानदंड: इन्क्यूबेटर्स के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में आवदेन करने का पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

1. इन्क्यूबेटर एक कानूनी कंपनी हो:

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी अथवा

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक न्यास, अथवा

(ग) कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटिड कंपनी, अथवा

(घ) किसी विधायी अधिनियम के ज़रिए निर्मित एक सांविधिक निकाय

2. इन्क्यूबेटर स्कीम के लिए आवेदन की तारीख तक कम-से-कम दो वर्ष के लिए प्रचालनरत होना चाहिए।

3. इन्क्यूबेटर में कम से कम 25 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो।

4. आवेदन की तारीख तक इन्क्यूबेटर में कम-से-कम 5 स्टार्ट-अप्स भौतिक रूप से इन्क्यूबेशन कर रहे हों।

5. इन्क्यूबेटर के पास व्यवसाय विकास और उद्यमशीलता में अनुभवी पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जिसकी सहायता एक सक्षम टीम द्वारा की जाएगी जो परीक्षण और विचारों के वैधीकरण में स्टार्ट-अप्स का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ वित्त, विधिक और मानव संसाधन संबंधी कार्यो के लिए जिम्मेदार होगी।

6. इन्क्यूबेटर को उन इन्क्यूबेटीज को प्रांरभिक निधि नहीं देनी चाहिए जो किसी तृतीय पक्षकार निजी कंपनी से निधीयन का इस्तेमाल कर रहे हैं

7. इन्क्यूबेटर को केन्द्र/राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा सहायता प्राप्त हो

8. यदि इन्क्यूबेटर को केन्द्र/ राज्य सरकार (सरकारों) की सहायता प्राप्त नहीं होती:

(क) इन्क्यूबेटर कम-से-कम तीन वर्षो के लिए प्रचालनरत हो

(ख) आवेदन की तारीख तक इन्क्यूबेटर में कम-से-कम 10 अलग–अलग स्टार्ट- अप्स भौतिक रूप से इन्क्यूबेशन कर रहे हों

(ग) कम-से-कम 2 वर्षो के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें

9. विशेषज्ञ सलाहकर समिति (ईएसी) द्वारा निर्धारित कोई अतिरिक्त मानदंड

7. इन्क्यूबेटर को अनुदान की मात्रा: विशेषज्ञ सलाहकर समिति (ईएसी) अनुदान सहायता हेतु इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन करेगी। चुने गए इन्क्यूबेटर को उपलब्धि आधारित तीन (या) और तीन से अधिक किस्तों में 5 (पांच) करोड़ रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक इन्क्यूबेटर के लिए अनुदान की मात्रा और किस्तों की सही मात्रा का निर्णय विशेषज्ञ सलाहकर समिति (ईएसी) अपने मूल्यांकन के आधार पर करेगी।

8. स्टार्टअप्स को निधि का संवितरण: इन्क्यूबेटर्स द्वारा पात्र स्टार्ट अप्स को निम्नानुसार सीड फंड संवितरण किया जाएगा:

1. अवधारणा के साक्ष्य के वैधीकरण अथवा प्रोटोटाइप विकास अथवा उत्पाद परीक्षण के लिए अनुदान के रूप में 20 लाख रु. तक। यह अनुदान उपलब्धि आधारित किस्तों में संवितरित किया जाएगा। ये उपलब्धियां प्रोटोटाइप के विकास, उत्पादन परीक्षण, बाजार में उतारने के लिए तैयार उत्पाद के विनिर्माण आदि से जोड़ी जा सकती हैं।
2. बाजार में प्रवेश, वाणिज्यीकरण, अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा ऋण अथवा ऋण-संबंधी साधनों के जरिए वृद्धि के लिए 50 लाख रुपए तक
3. स्टार्टअप द्वारा सीड फंड का इस्तेमाल किसी सुविधा के निर्माण के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और इसका इस्तेमाल केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह प्रदान किया गया है

9. विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन: डीपीआईआईटी द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकर समिति (ईएसी) का गठन किया जाएगा, जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के समग्र कार्यान्वियन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। ईएसी सीड फंड्स के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करेगी, प्रगति की निगरानी करेगी तथा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में निधि के कुशल इस्तेमाल के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

1. अध्यक्ष, प्रतिष्ठित व्यक्ति
2. वित्तीय सलाहकर, डीपीआईआईटी अथवा उनके प्रतिनिधि
3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक/उप-सचिव, डीपीआईआईटी (संयोजक)
4. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के प्रतिनिधि
5. विज्ञान औऱ प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रतिनिधि
6. इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के प्रतिनिधि
7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के प्रतिनिधि
8. नीति आयोग के प्रतिनिधि
9. सचिव, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप परिवेश, निवेशकों, आरएंडडी विषय में विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यीकरण, उद्यमशीलता तथा अन्य संगत विषयों से नामित कम-से-कम तीन विशेषज्ञ।
10. इन्क्यूबेटर्स का चयन:

10.1 इस स्कीम में भागीदारी के लिए भारत भर के इन्क्यूबेटर्स से https://www.startupindia.gov.in पर अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्धारित किसी अन्य प्लेटफार्म पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर इन्क्यूबेटर्सका चयन किया जाएगा:

क. पात्रता मानदंड का पूरा होना

ख. इन्क्यूबेटर टीम की गुणवत्ता

ग. उपलब्ध अवसंरचना, परीक्षण प्रयोगशालाएं आदि

घ. आईएसएमसी की संरचना (जैसा कि पैरा 7 में बताया गया है)

ङ. पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्क्यूबेटर द्वारा प्रदान की गई इन्क्यूबेशन सहायता:

1) इन्क्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स की संख्या

2) विकास करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या अर्थात व्यवसाय विकास चक्र के एक चरण से अगले चरण तक प्रगति।

3) उन स्टार्ट अप्स की संख्या जिन्होंने बाद में निवेश प्राप्त किया

4) उन स्टार्टअप्स की संख्या जिन्होंने विगत 1 वर्ष में 1 करोड़ रु. से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया

5) इन्क्यूबेटर के साथ जुड़ने की तारीख से स्टार्टअप की 2 वर्ष तक बने रहने की दर

च. विगत तीन वर्षों में इन्क्यूबेटीज को विस्तारित निधीयन सहायता:

1) इन्क्यूबेटर और स्टार्ट अप्स के बीच हस्ताक्षरित निवेश करार

2) निवेशित स्टार्ट अप्स की संख्या

3) इन्क्यूबेटीज को आवंटित कुल कॉर्पस

4) इन्क्यूबेटीज द्वारा बाह्य स्रोतों से प्राप्त कुल निवेश

छ. पिछले तीन वर्षों में इन्क्यूबेटीज को दिया गया मार्गदर्शन

1) नियुक्त मार्गदशर्कों की संख्या

2) प्रति स्टार्टअप प्रति माह आबंटित औसत मार्गदर्शन घंटे

3) इन्क्यूबेटीज द्वारा पंजीकृत आईपी (पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, और व्यापार चिह्न) की संख्या

4) पिछले तीन वर्षों में इन्क्यूबेटीज को प्रदान की गई अन्य सहायता:

5) उद्योग/कॉर्पोरेट संपर्क

6) हितधारकों को जोड़ने के लिए आयोजित कार्यक्रम

7) अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी

ज. उन स्टार्ट अप्स की संख्या जिन्हें इन्क्यूबेटर सहायता देने का इच्छुक है।

झ. समय-सीमा सहित निधि परिनियोजन योजना के साथ निधि की मात्रा जिसके लिए आवेदन किया गया है।

ञ. कोई अन्य संगत मापदंड जिनका निर्णय ईएसी द्वारा किया गया हो

10.2 इन्क्यूबेटर्स के लिए आवेदन आमंत्रित करने की ऑनलाइन सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध होगी।

10.3 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार निम्नलिखित के लिए आयोजित की जाएगी:

1. इस अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करना

2. स्कीम के तहत निधि के लिए इन्क्यूबेटर का चयन

3. निधि की कुल राशि का निर्णय करना तथा किस्तों की संख्या जिसमें यह प्रत्येक इन्क्यूबेटर को आबंटित की जानी है

4. किस्तें जारी करने के लिए प्रत्येक इन्क्यूबेटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां निर्धारित करना

10.4 ईएसी इस स्कीम के तहत स्वीकृत निधि की तुलना में इन्क्यूबेटर की प्रगति की निगरानी भी करेगी तथा यथा अपेक्षित कार्रवाई करेगी

10.5 ईएसी स्कीम के तहत इन्क्यूबेटर्स के चयन के लिए समय-समय पर बेहतर दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है

11. स्टार्टअप्स का चयन

11.1 स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक इन्क्यूबेटर इन्क्यूबेटर सीड प्रबंधन समिति (आईएसएमसी) नामक समिति का गठन करेगा जिसमें विशेषज्ञ शामिल होंगे जो प्रारंभिक/सीड सहायता के लिए स्टार्टअप्स का मूल्यांकन और चयन कर सकते हैं। आईएसएमसी की संरचना निम्नानुसार होगी:

i. इन्क्यूबेटर का नामिति (अध्यक्ष)

ii. राज्य सरकार की स्टार्टअप नोडल टीम का प्रतिनिधि

iii. उद्यम पूंजी निधि या एंजेल नेटवर्क का प्रतिनिधि

iv. उद्योग का क्षेत्र विशेषज्ञ

v. शिक्षा जगत का विषय विशेषज्ञ

vi. दो सफल उद्यमी

vii. कोई अन्य संगत हितधारक

प्रत्येक इन्क्यूबेटर की आईएसएमसी की अंतिम संरचना और सदस्यों को ईएसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा यह इन्क्यूबेटर्स के चयन के लिए महत्वपूर्ण मापदंड होगा।

11.2 स्टार्टअप्स का चयन खुली, पारदर्शी और उचित प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा, जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर निरंतर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

ii. आवेदन इस स्कीम के लिए संवितरण भागीदार के रूप में चुने गए किन्हीं तीन इन्क्यूबेटर्स से उनकी प्राथमिकता के क्रम में सीड फंड के लिए आवेदन कर सकते हैं

iii. सभी प्राप्त आवेदनों को आगे के मूल्यांकन के लिए संबंधित इन्क्यूबेटर्स के साथ ऑनलाइन रूप में साझा किया जाएगा

iv. आवेदक से टीम का ब्यौरा, समस्या संबंधी विवरण, उत्पाद/सेवा अवलोकन, व्यावसायिक मॉडल, उपभोक्ता ब्यौरे, बाजार के आकार, आवश्यक निधि की मात्रा, निधि की अनुमानित उपयोग योजना आदि का विवरण देने को कहा जा सकता है

v. इन्क्यूबेटर दिशानिर्देश में दिए गए पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदकों को चुनेगा।

vi. आईएसएमसी द्वारा निम्नलिखित मानदंड के अनुसार पात्र आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।

	मानदंड	**विवरण**	**भारिता (%)**
1	**क्या इस विचार की आवश्यकता है?**	बाजार का आकार, यह किस बाजार अंतर को भर रहा है, क्या यह वास्तविक विश्व की समस्या का समाधान करता है?	पी
2	**व्यवहार्यता**	तकनीकी दावों की व्यवहार्यता तथा तर्कसंगतता, पीओसी तथा वैधीकरण के लिए प्रयुक्त/प्रयोग की जाने वाली पद्धति, उत्पाद विकास की रूपरेखा	क्यू
3	**संभावित प्रभाव**	उपभोक्ता की जनसांख्यिकी तथा इन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, राष्ट्रीय महत्व (यदि कोई हो)	आर
4	**नोवेल्टी**	प्रौद्योगिकी, संबद्ध आईपी की विशेषता/यूएसपी	एस

5	**टीम**	टीम की ताकत, तकनीकी और व्यावसायिकी विशेषता	टी
6	**निधि के इस्तेमाल की योजना**	राशि के इस्तेमाल की रूपरेखा	यू
7	**अतिरिक्त मानदंड**	इन्क्यूबेटर द्वारा उपयुक्त समझा गया कोई अतिरिक्त मानदंड	वी
8	**प्रस्तुतीकरण**	समग्र आकलन	डब्ल्यू
			100%
मानदंड के लिए भारिता (पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू) प्रत्येक इन्क्यूबेटर द्वारा अलग-अलग तय की जा सकती है			

vii. इन्क्यूबेटर आईएसएमसी के समक्ष पस्तुतीकरण के लिए आवेदकों के मूल्यांकन के आधार पर उनका चयन कर सकता है।

viii. आईएसएमसी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा प्रस्तुतीकरण के आधार पर आवेदकों का मूल्यांकन करेगा और आवेदन की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर सीड फंड के लिए स्टार्टअप का चयन करेगा

ix. सभी इन्क्यूबेटर स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर वास्तविक समय आधार पर स्टार्टअप्स के मूल्यांकन की प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

x. चुने गए स्टार्टअप्स संबंधित इन्क्यूबेटर के तहत प्रारंभिक निधीयन प्राप्त करेंगे जो आवेदन के दौरान साझा की गई उनकी प्राथमिकता के अनुसार उनका लाभार्थी के रूप में चयन करता है (उदाहरण के लिए, यदि प्राथमिकता 1 और प्राथमिकता 2 पर मौजूद इन्क्यूबेटर्स ने एक स्टार्टअप का चयन करता है, तो प्राथमिकता 1 इन्क्यूबेटर द्वारा निधीयन किया जाएगा। यदि प्राथमिकता 1 इन्क्यूबेटर अस्वीकार करता है तो प्राथमिकता 2 पर स्थित इन्क्यूबेटर द्वारा निधीयन किए जाएगा तथा यह क्रम इसी प्रकार जारी रहेगा)

xi. सभी आवेदक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर वास्तविकसमय आधार पर अपने आवेदन की प्रगति का पता लगा सकेंगे

xii. जिन आवेदकों को अस्वीकार किया जाएगा उन्हें भी ई-मेल के जरिए सूचित किया जाएगा

xiii. एक बार अस्वीकार होने के बाद आवेदक नया आवेदन दायर कर सकते हैं

11.3 ईएसी स्कीम के तहत इन्क्यूबेटर्स के चयन के लिए समय-समय पर बेहतर दिशानिर्देश बना सकती है

12. यह विभाग विशेष रूप से वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक प्रतिफल के संदर्भ में वर्ष 2024-25 के अंत तक इस स्कीम के परिणामों का मूल्यांकन करेगा।

[फा. सं. पी-38015/5/2020-स्टार्टअप इंडिया]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

(STARTUP INDIA SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2021

S.O. 414(E).— The Central Government has approved the 'Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)' to provide financial assistance to startups for proof of concept, prototype development, product trials, market entry and commercialization. SISFS shall provide financial assistance to startups via corpus of Rs. 945 Crore that will be disbursed through selected incubators across India in 2021-25.

2. The scheme is sector-agnostic and will support startups across all sectors. The scheme shall have a central common application on Startup India portal for startups and incubators on an ongoing basis.

3. SISFS will be implemented by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

4. The Guidelines of the above-mentioned scheme is available on the website of Startup India at https://www.startupindia.gov.in/.

5. **Eligibility Criteria for Startups:** The eligibility criteria for a startup to apply under the Startup India Seed Fund Scheme shall be as follows:

1. A startup, recognized by DPIIT, incorporated not more than 2 years ago at the time of application
2. Startup must have a business idea to develop a product or a service with market fit, viable commercialization, and scope of scaling
3. Startup should be using technology in its core product or service, or business model, or distribution model, or methodology to solve the problem being targeted
4. Preference would be given to startups creating innovative solutions in sectors such as social impact, waste management, water management, financial inclusion, education, agriculture, food processing, biotechnology, healthcare, energy, mobility, defence, space, railways, oil and gas, textiles, etc.
5. Startup should not have received more than Rs 10 lakh of monetary support under any other Central or State Government scheme. This does not include prize money from competitions and grand challenges, subsidized working space, founder monthly allowance, access to labs, or access to prototyping facility
6. Shareholding by Indian promoters in the startup should be at least 51% at the time of application to incubator for the scheme, as per Companies Act, 2013 and SEBI (ICDR) Regulations, 2018
7. Any startup will not receive seed support more than once each as per provisions of guidelines.

6. Eligibility Criteria for Incubators: The eligibility criteria for an incubator to apply in the Startup India Seed Fund scheme are as follows:

1. Incubator must be a legal entity:
   a) A society registered under the Societies Registration Act 1860, or
   b) A Trust registered under the Indian Trusts Act 1882, or
   c) A Private Limited company registered under the Companies Act 1956 or the Companies Act 2013, or
   d) A statutory body created through an Act of legislature
2. Incubator should be operational for at least two years on the date of application to the scheme
3. Incubator must have facilities to seat at least 25 individuals
4. Incubator must have at least 5 startups undergoing incubation physically on the date of application
5. Incubator must have a full-time Chief Executive Officer, experienced in business development and entrepreneurship, supported by a capable team responsible for mentoring startups in testing and validating ideas, as well as in finance, legal and human resources functions
6. Incubator should not be disbursing seed fund to incubatees using funding from any third-party private entity
7. Incubator must have been assisted by Central/State Government(s)
8. In case the incubator has not been assisted by Central or State Government(s):
   a) Incubator must be operational for at least three years

b) Must have at least 10 separate startups undergoing incubation in the incubator physically on the date of application

c) Must present audited annual reports for the last 2 years

9. Any additional criteria as may be decided by the Experts Advisory Committee (EAC).

7. Assistance to Incubators: Experts Advisory Committee (EAC) shall evaluate incubators for grant assistance. A Grant of up to Rs. 5 (five) crore would be provided to a selected incubator in milestone-based three (or) more installments. The exact quantum of grant and instalments for each incubator will be decided by the Experts Advisory Committee (EAC) based on its evaluation

8. Disbursement of Seed Fund to Startups by Incubators: Seed Fund to an eligible startup by the incubator shall be disbursed as follows:

1. Up to Rs. 20 Lakhs as grant for validation of Proof of Concept, or prototype development, or product trials. The grant shall be disbursed in milestone-based installments. These milestones can be related to development of prototype, product testing, building a product ready for market launch, etc.
2. Up to Rs. 50 Lakhs of investment for market entry, commercialization, or scaling up through convertible debentures or debt or debt-linked instruments
3. Seed fund shall strictly not be used by startups for creation of any facilities and shall be utilized for the purpose it has been granted for

9. Constitution of Experts Advisory Committee: An Experts Advisory Committee (EAC) will be constituted by DPIIT, which will be responsible for the overall execution and monitoring of the Startup India Seed Fund Scheme. The EAC will evaluate and select incubators for allotment of Seed Funds, monitor progress, and take all necessary measures for efficient utilization of funds towards fulfilment of objectives of Startup India Seed Fund Scheme. The Experts Advisory Committee (EAC) will comprise of the following members:

1. Chairman, an individual of eminence
2. Financial Advisor, DPIIT or his representative
3. Additional Secretary/ Joint Secretary/ Director/ Deputy Secretary, DPIIT (Convener)
4. Representative of Department of Biotechnology (DBT)
5. Representative of Department of Science & Technology (DST)
6. Representative of Ministry of Electronics and Information Technology (MeiTY)
7. Representative of Indian Council of Agricultural Research (ICAR)
8. Representative of NITI Aayog
9. At least three expert members nominated by Secretary, DPIIT from the startup ecosystem, investors, experts in the domain of R&D, technology development and commercialization, entrepreneurship and other relevant domains.

10. **Selection of Incubators:**

10.1 Online Applications will be invited from incubators across India to participate in the scheme on https://www.startupindia.gov.in or any other platform specifically designated for the purpose.

Incubators shall be selected on the basis of the following parameters:

a. Fulfillment of eligibility criteria

b. Quality of the team of Incubator

c. Available infrastructure, testing labs etc.

d. Composition of ISMC (as defined in para 7)

e. Incubation support provided by incubator in last three years:

i. No. of startups incubated
ii. No. of startups graduated, i.e. progressed from one stage of business development cycle to the next
iii. No. of startups that raised follow on investments
iv. No. of startups that crossed a revenue of Rs 1 Cr in last 1 year
v. 2-year survival rate of startups from the date of joining incubator

f. Funding support extended to incubatees in last three years:

i. Investment agreements signed between incubator and startups
ii. No. of startups invested in
iii. Total corpus allocated to incubatees
iv. Total investments raised by incubatees from external sources

g. Mentoring provided to incubatees in last three years:

i. No. of mentors hired
ii. Average mentoring hours allocated per startup per month
iii. No. of IP (patents, copyrights, designs, and trademarks) registered by incubatees

h. Other support extended to incubatees in last three years:

i. Industry/Corporate connects
ii. Events held for stakeholder engagements
iii. Participation in other events

i. Number of startups that the incubator intends to support

j. Quantum of funds applied for, along with fund deployment plan with timelines

k. Any other relevant parameters that decided by the EAC

10.2 The Call for Applications for incubators will be open online throughout the year

10.3 Experts Advisory Committee (EAC) will convene at least quarterly to:

1. Evaluate the applications received during the period
2. Select incubators for funds under the Scheme
3. Decide the total amount of fund and number of installments in which it is to be allocated to each incubator
4. Specify milestones to be achieved by each incubator for release of installments

10.4 EAC shall also monitor progress of incubators against sanctioned funds under the Scheme and take further actions as may be required

10.5 EAC may lay down improved guidelines for selection of incubators under the scheme from time to time

11. **Selection of Startups**

11.1 Each of the incubators applying for the Startup India Seed Fund Scheme will constitute a committee called the Incubator Seed Management Committee (ISMC), consisting of experts who can evaluate and select startups for seed support. The composition of ISMC would be as follows:

i. Nominee of Incubator (Chairman)
ii. Representative from State Government’s Startup Nodal Team
iii. Representative of a Venture Capital Fund or Angel Network
iv. A domain expert from Industry

v. A domain expert from academia

vi. Two successful Entrepreneurs

vii. Any other relevant Stakeholder

The final composition and members of ISMC of each incubator shall be approved by EAC and will be a critical parameter in selection of incubators.

11.2 The startups shall be selected through an open, transparent and fair process, comprising, inter-alia:

i. An online call for applications shall be hosted on an ongoing basis on the Startup India portal

ii. Applicants can apply for seed fund to any three incubators selected as disbursing partners for this scheme in order of their preference

iii. All applications received will be shared online with respective incubators for further evaluation

iv. The applicant may be asked to submit details on team profile, problem statement, product/service overview, business model, customer profile, market size, quantum of funds needed, projected utilization plan for funds, etc.

v. The incubators shall shortlist applicants as per eligibility criteria given in the guidelines.

vi. Eligible applications will be evaluated by ISMC using the following criteria:

	Criteria	**Details**	**Weightage (%)**
1	**Is there a need for this Idea?**	Market size, what market gap is it filling, does it solve a real-world problem?	P
2	**Feasibility**	Feasibility and reasonability of the technical claims, methodology used/ to be used for PoC and validation, roadmap for product development	q
3	**Potential Impact**	Customer demographic & the technology's effect on these, national importance (if any)	r
4	**Novelty**	USP of the technology, associated IP	s
5	**Team**	Strength of the team, Technical and business expertise	t
6	**Fund Utilization Plan**	Roadmap of money utilization	u
7	**Additional Parameters**	Any additional parameters considered appropriate by incubator	v
8	**Presentation**	Overall assessment	w
			100%
Weightages for criteria (p, q, r, s, t, u, v, w) may be assigned by each incubator differently			

vii. Incubator may shortlist applicants based on their evaluation for a presentation before ISMC

viii. ISMC shall evaluate applicants based on their submissions and presentations and select startups for Seed Fund within 45 days of receipt of application

ix. All incubators shall provide information about progress of evaluation of startups real-time to Startup India portal

x. Selected startups shall receive seed funding under the respective incubator that selects them as beneficiaries as per their preference shared during application (for example, if incubators at Preference 1 and Preference 2 both select a startup, the funding shall be given by Preference 1 incubator. If Preference 1 incubator rejects and Preference 2 incubator selects, the funding shall be given by incubator at Preference 2, and so on.)

xi. All applicants will be able to track the progress of their application on the Startup India portal on a real-time basis

xii. Applicants who are rejected will also be notified through email

xiii. An applicant, if rejected once, may apply afresh

11.3 EAC may lay down improved guidelines for selection of startups under the scheme from time to time

12. The Department shall evaluate the outcome of the scheme by the end of 2024-25, especially with reference to financial, social and economic returns.

[F. No. P-38015/5/2020-STARTUP INDIA]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.01.28 23:17:52 +05'30'